

सेवा में,

सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
सहारनपुर रोड़ ट्रांसपोर्ट नगर
जनपद-देहरादून।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या/मानचित्र संख्या-C-0345/20-21/RE1/RE1/RE1 दिनांक 12.04.2022 एवं आवेदक द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 36987415 दिनांक 08.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ Mrs .SHIMLA DEVI W/O LATE SHRI JAY KUMAR KAMBOJ & MR. ANSHUL KAMBOJ S/O LATE JAY KUMAR KAMBOJ, K.NO-11190&1191 MAUZA-MOTHROWALA PARGANA-PARWADOON, जनपद देहरादून पर प्रस्तावित शैक्षणिक भवन (प्राइमरी स्कूल) के निर्माण/शमन (Compounding) सम्बन्धी मानचित्र संलग्न करते हुए आपत्ति/अनापत्ति आख्या भेजे जाने विषयक है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्रों का परिशीलन कर संस्तुति आख्या दिनांक 09.06.2022 इस कार्यालय को प्रेषित की गई। जिसमें भवन निर्माण/शमन (Compounding) के समय निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी बिन्दुओं पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:-


1. प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन वाहन सुगमता से पहुंच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।
3. प्रश्नगत भवन भूतल (स्टिल्ट) एवं अग्रेत्तर तीन तल में प्रस्तावित है।

प्रस्तावित शैक्षणिक भवन में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया जाना आवश्यक है:-


1. प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल पर 30 हजार लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत फायर स्टेटिक टैंक का निर्माण किया जाए। जिस पर फायर ड्रा आउट तथा फायर इनलेट सिस्टम का प्राविधान किया जाए। भवन के निकट फायर हाईड्रेन्ट मय फायर पम्प व मय होज बाक्स का प्राविधान इस प्रकार किया जाए कि वह भवन के प्रत्येक भाग को कवर कर सके।
2. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टैरेस में 10 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैरेस टैंक का प्राविधान किया जाय। टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता का टैरेस.पम्प का प्राविधान किया जाय।
3. प्रस्तावित भवन में डाउनकमर/वैट राईजर का प्राविधान किया जाय जो भूतल से होते हुए टॉप फ्लोर तक जाय। उक्त डाउनकमर/वैट राईजर को भूमिगत तथा टैरेस टैंक से सम्बद्ध किया जाय। डाउनकमर/वैट राईजर पर प्रत्येक तल में एक-एक हौज रील वाल्व का प्राविधान किया जाय। प्रत्येक हौज रील वाल्व पर 30 मीटर लम्बी हौज रील मय नाजुल फिट की जाय।
4. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल में मुख्य प्रवेश/निकास मार्गों के अतिरिक्त आपातकालीन (FIRE EXIT) निकास मार्गों का प्राविधान किया जाए। भवन के प्रत्येक तल में निकास मार्गों पर प्रदीप्त संकेत चिन्हों (Signages) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
5. प्रस्तावित भवन में मैनुवली ओपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाय।
6. प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया जाए। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेन्ज ओवर लगाया जाए।
7. प्रस्तावित भवन में की जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होनी आवश्यक है।
8. प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्प रोधी तकनीक पर किया जाय।
9. प्रस्तावित भवन का सैट बैक मानकों के अनुसार होना आवश्यक है, साथ ही उसे प्रत्येक समय साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाय ताकि अग्निशमन वाहन सुगमता से भवन के चारों ओर घूम सके। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सेट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थायी ढांचा नहीं बनाया जायेगा। जिसकी सतह लगभग 45 टन भार वहन क्षमता की होनी आवश्यक है।
10. प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकम्प रोधी तकनीक पर किया जाय।
11. प्रस्तावित भवन की छत पर आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु लाईटनिंग एरेस्टर का प्राविधान किया जाए।
12. प्रस्तावित भवन निर्माण के मानचित्र में किसी प्रकार का संशोधन करने पर अग्निशमन विभाग को सूचित किया जायेगा।

13. प्रस्तावित भवन के निर्माणोपरान्त अग्निशमन विभाग को सूचित करेंगे तथा निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, भारतीय मानक तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इण्डिया पार्ट-4, उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (यथा संशोधित) में दिये गये प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने तथा भवन निर्माणोपरान्त भवन में की गयी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता: प्रमाण-पत्र (Pre-Operational) लिये जाने की शर्त पर प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित शैक्षणिक भवन (प्राइमरी स्कूल) के निर्माण/शमन (Compounding) हेतु प्रारम्भिक (Pre-Establishment) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। मानचित्र का एक सैट भी संलग्न है।


(आर० एस० खाती)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।


Principal
Sierra International School


Manager
Sierra International School
Mothrowaia, Dehradun.